अधिशासी अभियन्ता (पुनर्वास),
जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2,
दमुवाढुंगा, हल्द्वानी,
नैनीताल, 263139

Uttarakhand Irrigation Department
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

Executive Engineer (R&R),
Jamrani Dam Cons. Div. -2,
Damuadhunga, Haldwani,
Nainital, 263139,
E Mail : eejdcd3@gmail.com

पत्रांक :– 34 /जमरानी–2 (पुनर्वास)/एस0आई0ए0 दिनांक 01-02- 2020।

सेवा में ,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
सूचना भवन , मसूरी बाईपास रिंगरोड़, दून हिल कालौनी,
लाडपुर , देहरादून , उत्तराखण्ड ।

विषय– सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु प्रारूप का प्रकाशन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न प्रारूप की तीन प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे हिन्दी के दो स्थानीय समाचार पत्रों में जो उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लोकप्रिय हों में एक बार प्रकाशित कराने की कृपा करें। कृपया समाचार पत्रों की एक–एक प्रति जिसमें सूचना प्रकाशित हुई हो, इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न– विज्ञप्ति –03 प्रतियॉ ।

भवदीय,

(बी0बी0पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– /जमरानी–2/एस0आई0ए0/तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सिंचाई विभाग ,उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।
2. अधीक्षण अभियन्ता ,परियोजना मण्डल जमरानी , हल्द्वानी ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रशासक नैनीताल ।
4. अधिशासी अभियन्ता , जमरानी बॉध निर्माण खण्ड–2 , हल्द्वानी ।
5. उपजिलाधिकारी , नैनीताल ।
6. खण्ड विकास अधिकारी, भीमताल।
7. समस्त नोडल/सहायक अभियन्ता (पुनर्वास) जमरानी बॉध निर्माण खण्ड –2 हल्द्वानी ।
8. ग्राम प्रधान – हैडाखान , उडवॉ ,पस्तौला ,पनियॉबोर ,।
9. Capt. (Retd.) H.K. Sharma, Executive Director ,Mantec Consultants PVT LTD.D-36, Sector-6, Noida, Uttar pradesh – 201301 Email – envmantec@yahoo.co.in
10. नोटिस बोर्ड।

(बी0बी0पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता

प्रारूप–2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

[नियम 3 का उप–नियम (3) नियम 7 का उप–नियम (5) और उप– नियम (6) और नियम 14 देखिये]

अ–सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधी पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण
   (क) आयु, लिंग, जाति, धर्म
   (ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।
2. गरीबी के स्तर (बी0पी0एल0)
3. दुर्लभ समूह (एपी0एल0)
   (क) स्त्रियां (ख) बालक (ग) वृद्ध (घ) स्त्री–प्रधान गृहस्थियां। (ङ) निःशक्त व्यक्ति
4. रक्त संबन्धी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका ।
5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।
6. प्रशासनिक संगठन ।
7. राजनीतिक संगठन ।
8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन
9. भूमि का उपयोग और जीविका।
   (क) कृषि उपयोगी और गैर कृषि उपयोगी।
   (ख) भूमि की गुणवत्ता–मृदा, जल, वृक्ष, आदि
   (ग) पशुधन।
   (घ) औपचारिक एवं अनौपचारिक संकर्म और रोजगार।
   (ङ) श्रम श्रेणी और महिलाओं के कार्य गृहस्थवार विभाजन।
   (च) प्रवास।
   (छ) कुटुंब की आय के स्तर ।
   (ज) खाद्य सुरक्षा।
10. स्थानीय आर्थिक कियाकलाप
   (क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग।
   (ख) ऋण तक पहुंच।
   (ग) मजदूरी की दर।
   (घ) विनिर्दिष्ट जीविका के कियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित है।
11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते है।
   (क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच ।
   (ख) सामान्य संपत्ति संसाधन ।
   (ग) निजी आस्तियां।
   (घ) सड़कें परिवहन।
   (ङ) सिंचाई की सुविधाएं।
   (च) बाजार तक पहुंच।
   (छ) पर्यटन स्थल।
   (ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम।
   (झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।
12 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता
   (क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौन्दर्यपरकता, मोह और अभिलाषा।
   (ख) बंदोबस्त पैटर्न।
   (ग) गृह।
   (घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान।
   (ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल ।
   (च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अन्तर्गत जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था आदि हैं)।
   (छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी केन्द्र, लोक वितरण व्यवस्था)
   (ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा।
   (झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल–मिलाप के स्थान।

आ– महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात
   (क) रोजगार के स्तर और प्रकार ।
   (ख) अंतरीय–कुटुंब रोजगार पैटर्न ।
   (ग) आय के स्तर ।
   (घ) खाद्य सुरक्षा।
   (ङ) जीवन निर्वाह का स्तर।
   (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण।
   (छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता।
   (ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन।
   (झ) दरिद्रता का जोखिम ।
   (ञ) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।
2. भौतिक संसाधनों पर समाघात
   (क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात ।
   (ख) जीविका के लिये भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ।
3. निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात
   (क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता ।
   (ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता।
   (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव ।
   (घ) बिजली व जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था।
   (ङ) निजी आस्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।
4. स्वास्थ्य समाघात
   (क) आंतरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात।
   (ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना कियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघात–
   (1). स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात ।
   (2). वृद्धों पर समाघात।
5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात।
   (क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपान्तरण ।
   (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन ।
   (ग) आर्थिक–पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव ।
   (घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन समाघात।
   (ङ) अपराध और अवैध कियाकलाप ।
   (च) विस्थापन का तनाव।
   (छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात।
   (ज) स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा।
6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता (परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी) और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है–

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण
   (एक) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान।
   (दो) लाभकारी निवेश में गिरावट।
   (तीन) भूमि का सट्टा।
   (चार) अनिश्चितता का तनाव।

(ख) सन्निर्माण चरण
   (एक) विस्थापन और पुनः अवस्थापन।
   (दो) प्रवासी सन्निमार्ण कार्यशक्ति का आगमन ।
   (तीन) उनके स्वास्थ्य पर समाघात, जो लगातार सन्निर्माण के नजदीक रहते हैं।

(ग) प्रवर्तन चरण
   (एक) सन्निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी।
   (दो) परियोजना के आर्थिक फायदे।
   (तीन) नई अवसरचना पर फायदे।
   (चार) सामाजिक संगठन का नया पैटर्न।

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण
   (एक) आर्थिक अवसरों का घाटा।
   (दो) पर्यावरण निर्म्नीकरण और जीविका पर इसका समाघात।

(ङ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

(एक) "प्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका प्रभावित कुटुंबों (जैसे प्रत्यक्ष भूमि और जीविका खोने वाले) द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(दो) "अप्रत्यक्ष समाघात" में वे सभी समाघात सम्मिलित होंगे, जिनका भूमि अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रभावित, लेकिन परियोजना क्षेत्र में रह रहे परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है।

(च) अंतरीय समाघात

(एक) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों, और निःशक्त लोगों पर समाघात।

(दो) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान–शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिघात समाघात।

(छ) संचित समाघात

(एक) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात ।

(दो) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, लेकिन स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े है।

इ–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के विषय–वस्तुओं की सारणी ।

अध्याय	विषय–वस्तु
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक परियोजन । (ख) स्थान । (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता। (घ) अनुकल्पों पर विचार । (ङ) सामाजिक समाघात। (च) कमी करने के उपाय। (छ) सामाजिक लागत और फायदे का निर्धारण।
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित। (ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिये उपयुक्त है, सूचीबद्ध मापदंडों सहित। (ग) परियोजना के आकार अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा। (घ) अनुकल्पों की परीक्षा । (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं। (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार और प्रकार। (छ) सहायक अवसंरचनात्मक सविधाओं की आवश्यकता। (ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थायी)। (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा , यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट । (ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां।
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञ सहित। (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग होने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार और साधन। (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग। (घ) सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों के प्रयोग पर्यावलोकन । विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें । (ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची । लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निरीक्षण को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित करें ।
भूमि अवधारणा	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्त्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें । (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण सघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)। (ग) परियोजना के लिये कुल अपेक्षित भूमि। (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग। (ङ) भूमि(यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई अन्य सक्रामित

	पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लाट का आशयित उपयोग । (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रयोजित भूमि का परिमाण और स्थान । (छ) भूमि की प्रकृति वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम। (ज) धारित भूमि का आकार स्वामित्व कम भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या (झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व मे नए परिवर्तन पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग।
प्रभावित परिवारों और संपत्तियों जहां अपेक्षित हो का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है– (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि प्रयोजन के लिए अपेक्षित है) एक किरायेदार है अथवा प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि के अधिभोगी है। (दो) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके अपने किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है। (तीन) सामान्य भूमि स्रोतो पर आश्रित ,जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी । (चार) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। (पांच) भूमि अर्जन से पूर्व शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि मे पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे है। (छः) अर्जन से पूर्व भूमि,जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है, पर आश्रित है । (ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वय की भूमि के अर्जन के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही है) (ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका।
सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र मे जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा । (ख) आय गरीबी स्तर। (ग) दुर्बल समूह। (घ) भूमि उपयोग और जीविका। (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप। (च) कारक,जिनका स्थानीय जीविका मे योगदान है। (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। (ज) प्रशासनिक संगठन। (झ) राजनैतिक संगठन। (ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसायटी संगठन। (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं। (ठ) जीवन पर्यावरण की गुणवत्ता।
सामाजिक समाघात	(क) पहचान मे आए समाघातों के लिए कार्यढांचा और दृष्टिकोण । (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो आंकलित समाघात । (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची मे सम्मिलित है भूमि जीविका और आय भौतिक संसाधन, निजी आस्तियो, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य पर समाघात संस्कृति और सामाजिक संसजन तथा लिंग आधारित समाघात ।
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विकल्पजित अनुकल्प, भूमि की निम्नतम अपेक्षाएं सामाजिक समघात की प्रकृति और गहनता, कमी करने के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक जहां कमी करने के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना मे वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या का समाधान करेगा के बारे मे अंतिम निष्कर्ष (ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम 8(10) मे वर्णित साम्या सिद्धान्त का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर कि क्या अर्जन होना चाहिए या नही, विश्लेषण की कसौटी के रूप मे उपयोग किया जाएगा ।
निर्देश और प्रारूप	निर्देश और आगे सूचना के लिए।

प्रारूप 3
[नियम 3 का उपनियम (4) देखिये]
सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।
2. समाघात से बचने कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय।
3. उपाय, जो अधिनियम मे (यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन) एवं (प्रतिकर) के निबंध मे सम्मिलित है।
4. उपाय जिनमे (अपेक्षित निकाय) द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव मे पुनर्स्थापना करेगा।
5. अतिरिक्त उपाय, जिनमे अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह (सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया) और (लोक सुनवाई) के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।
6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना मे संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक शमन/निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता (पुनर्वास)
जमरानी बाँध निर्माण खण्ड-2
हल्द्वानी